द्वारा ई–मेल / डाक

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-4004914
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com.

अति–आवश्यक

क्रमांकः पैरामेडि.कौं. / मान्यता / 2023 / 92 दिनांक 02/03/2023

प्रधानाचार्य / सचिव / निदेशक
समस्त मान्यता प्राप्त राजकीय / निजी पैरामेडिकल संस्थान / महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय :– मान्यता / संबंद्धता शुल्क सत्र 2022–23 की अंतर राशि जमा करवाने के क्रम में।
संदर्भ :– राजस्थान पैरामेडिकल कौसिल विनियम 2023 के शैड्यूल 15 के बाबत।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर के पत्र क्रमांक 633, 634 दिनांक 17.10.2022 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल डिप्लोमा महाविद्यालयों / संस्थाओं द्वारा नियमानुसार प्रतिवर्ष प्रति कोर्स / पाठ्यक्रम RS. 25,000 / – मान्यता शुल्क देय है। 25 सीटो हेतु 25,000 / – एवं 50 सीटो हेतु 50,000 तथा इससे अधिक सीट होने पर सीटो की संख्या के अनुपातिक रूप में लिये जाने एवं निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराये जाने पर 5,000 / – रूपये शास्ति राशि दिया जाना प्रस्तावित था।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल संशोधित विनियम 2023 के शैड्यूल 15 अनुसार प्रतिवर्ष मान्यता / संबंद्धता शुल्क राशि बढाई गई है। विनियम 2023 दिनांक 20 फरवरी 2023 से लागू हो चुके है। अतः इस संबंध में कौंसिल की बैठक दिनांक 28.02.2023 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रति कोर्स 25 सीट हेतु 50,000 / – तथा 50 सीटो हेतु राशि 1,00,000 / – एवं इससे अधिक सीटे होने पर सीटों की संख्या के अनुसार आनुपातिक रूप में लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि **दिनांक 03.03.2023 से 17.03.2023 तक बिना विलम्ब शुल्क तथा दिनांक 22.03.2023 तक 10,000 / – रूपयें (प्रति कोर्स) विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित अंतर राशि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में जमा कराना सुनिश्चित करें।**

शीघ्र ही शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। निर्धारित तिथि तक मान्यता शुल्क जमा नही करवाने वाली संस्थानो / महाविद्यालयों को सत्र 2022–23 की प्रवेश प्रक्रिया की काउन्सलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा तथा संस्थान की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी।

सूचित रहें।

(कैलाश नारायण मीना)
R.A.S.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2023 / 92 दिनांक 02/03/2023
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव शासन सचिव, महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
3. अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. लेखाधिकारी / लेखा अनुभाग / पंजीयन / संस्थापन / परीक्षा अनुभाग आर.पी.एम.सी. जयपुर।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही वेबसाईट पर अलपोड करें।
6. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार